न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री सवाराम पुत्र हरजीजी, जाति- रेबारी, निवासी- सियाकरा, तह. सिरोही, जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

ग्राम पंचायत, सनपुर जरिये सरपंच, तहसील व जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 03/2019

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री पदमाराम चौहान, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 10 जुलाई, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, सनपुर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत जारी नोटिस क्रमांक 173 दिनांक 0.7.2.2018 व 253 दिनांक 23.2.2019 को निरस्त कराने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं न ही अप्रार्थी उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सियाकरा, ग्राम पंचायत, सनपुर का प्रार्थी स्थाई निवासी है। ग्राम सियाकरा की आबादी भूमि में प्रार्थी का पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का आवासीय भूखण्ड आया हुआ है, जो ग्राम सियाकरा के रेबारीवास में स्थित है। उक्त आवासीय भूखण्ड की चतुर्दशी अनुसार उत्तर दिशा में पानी की टंकी, दक्षिण दिशा में मेघा पुत्र जीवाजी रेबारी का मकान, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम दिशा में आम रास्ता आया हुआ है व भूखण्ड का नाम उत्तर में 30 फीट, दक्षिण में 70 फीट, पूर्व में 50 फीट व पश्चिम में 30 फीट कुल 2500 वर्गफीट है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है, बल्कि उक्त भूखण्ड प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे का है व आवासीय व मवेशी बांधने तथा चारा आदि रखने के उपयोग में आ रहा हे। मौके पर प्रार्थी द्वारा चारों तरफ परकोटा बनाया हुआ है व पत्थर भी पडे है। प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर अपने पूर्व रसाधिकारियों के जरिये निर्बाध रुप से काबिज चला आ रहा है, जिसकी जानकारी आमजन व ग्राम

....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत, सनपुर के पदाधिकारियों को है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत, सनपुर में कई बार आवेदन किया तथा शिविरों में भी आवेदन किया, लेकिन ग्राम पंचायत, सनपुर ने प्रार्थी को उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी नही किया। ग्राम पंचायत, सनपुर ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नही किया, जो विधि विरुद्ध है। ग्राम सियाकरा में प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी भूखण्ड के अलावा भी अन्य कई व्यक्तियों के पुश्तैनी भूखण्ड है, जिनके पट्टे उन लोगों के पास में भी नही है, लेकिन ग्राम पंचायत, सनपुर ने बदनियति पूर्वक प्रार्थी के विरुद्ध ही अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 156 में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का आबादी भूमि में स्वत्व का दावा न्यायसंगत है तथा मौके पर कोई अतिचार है तो ऐसे भूखण्ड का पंचायत द्वारा बाजार दर राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165(4) में भी अतिक्रमित आबादी भूमि का प्रचलित बाजार दर पर नियमन करने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत, सनपुर में प्रार्थी उक्त भूखण्ड की नियमानुसार शुल्क अदा कर पट्टा प्राप्त करने हेतु तैयार है। अत: प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर प्रश्नगत नोटिस को निरस्त करते हुए प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत, सनपुर को निर्देशित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सनपुर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण बाबत नोटिस क्रमांक 173 दिनांक 07.2.2018 को इस आशय का जारी किया गया है कि रेबारी वास सियाकरा में प्रार्थी ने पंचायत की अनुमति के बिना अवैध निर्माण कार्य शुरु किया है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, इसलिये नोटिस प्राप्त होते ही तुरन्त प्रभाव से निर्माण कार्य बन्द कर देवे। अन्यथा पंचायती राज नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, सनपुर द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध पुन: अतिक्रमण बाबत अन्तिम नोटिस क्रमांक 253 दिनांक 23.2.2019 को जारी कर प्रार्थी को प्रार्थी द्वारा ग्राम सियाकरा के रेबारीवास में किये अतिक्रमण को हटाने हेतु सूचित किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थी ने ग्राम पंचायत, सनपुर में उक्त नोटिसों का जवाब व अपना पक्ष प्रस्तुत किये बिना ही उक्त नोटिसों के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। यदि प्रार्थी का विवादित भूखण्ड पर पुराना कब्जा है व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत विवादित भूखण्ड का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी स्वयं को पात्र समझता है तो प्रार्थी को ग्राम पंचायत, सनपुर के समक्ष उक्त नोटिसों का जवाब व अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही